न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,गंगापुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 146/2016 (2016/00424) दायर दिनांक 15.09.2016
वाद– अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.ए.

शीर्षक

डालचन्द आत्मज हजारी कुमावत निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादी

बनाम

1. राजीव गांधी पाठशाला केरपुरा म0 देह विद्यालय भवन एवं खैल मैदान हेतु जरिये प्रधानाध्यापक तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

उपस्थिति– अधिवक्ता वादीः– श्री पर्वतसिंह चुण्डावत
अधिवक्ता प्रतिवादीगणः– प्रतिवादी संख्या 01 उप0
पेरोकार सरकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक 05.07.2021

वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88188 आर0टी0 एक्ट का पेश किया जिसमें संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कोशीथल तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में साबिक आराजी संख्या 2449 रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा भुमि बिलानाम स्थित थी। जिसमें से दो बीघा भुमि वादी को आवंटित हुई। आवंटित होने के पश्चात् उक्त वर्णित भुमि के नम्बर 2449/3 रकबा दो बीघा कायम किये गये तथा मुझ वादी को आवंटित दो बीघा भुमि का नामान्तरकरण संख्या 2975 के जरिये भुमि मुझ वादी के नाम पर नामान्तरित हुई। जो गैर खातेदारी दर्ज होने के पश्चात् आवंटन नियमों एवं शर्तो की पालना करते रहने से मुझ वादी को आवंटित शुदा भुमि आराजी संख्या 2449/3 रकबा दो बीघा की खातेदारी प्रदान कर दी गई हैं। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत 2037 ता 2040, नामान्तरकरण संख्या 2975 व आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति साथ प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.26 17:03:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

1.

Scanned with CamScanner

यह कि मुझ वादी को आवंटित आराजी संख्या 2449/3 रकबा दो बीघा पर मै वक्त आवंटन से ही काबिज होकर इस भुमि का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हूँ तथा इस भुमि पर लाखों रूपये व श्रम लगा कर इस भुमि को आबाद भी किया है तथा जंहा मुझ वादी को आवंटित शुदा भुमि का कब्जा सिपुर्द किया गया उसी अनुसार साबिक नक्शे मे भी दो बीघा रकबे का तरमीमात भी कर दिया गया और साबिक नक्शे व मौके की स्थिति के अनरूप में वादी आज भी उसी अनुसार काबिज हूँ व काश्त कर रहा हूँ।

यह कि तहसील सहाड़ा का नवीन भु–प्रबंध हुआ , जिसमें ग्राम कोशीथल की भुमियों का भी नवीन बन्दोबस्त किया गया , जिसमें मुझ वादी को आवंटित साबिक आराजी संख्या 2449/3 रकबा दो बीघा के नवीन नम्बर 5945 रकबा 0.34 हे0 कायम किये जबकि इसका रकबा दो बीघा के अनुसार 0.43 हे0 भुमि कायम होने चाहिये थे। याबिन साबिक रकबे के मुकाबले में सेटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियों ने गैर कानुनी तरीके से बिना किसी न्यायालय के विधिक आदेश के मुझ वादी के नवीन रकबे में 0.09 हे0 भूमि की कमी कर दी जबकि आज भी मै वादी दो बीघा भुमि पर वक्त आवंटन से काबिज हूँ। मुझ वादी के कमी किये गये 0.09 हे0 रकबे को नवीन नक्शे में तरमीमात करते हुए बिलानाम भुमि मे मिला दिया तथा मुझ वादी के कब्जे अनुसार व साबिक नक्शे अनुसार मिलान करने पर नवीन नक्शे में मुझ वादी की आराजी के पश्चिम दक्षिण तरफ स्थित बिलानाम भुमि जिसके नवीन नम्बर 5944 कायम किये गये, जिसकी तरफ मरी भुमि आराजी संख्या 5945 फीट है उसके पश्चिम में सटमा स्थित आराजी संख्या 5944 के 0.09 हे0 भुमि पर मेरा कब्जा आता है, यानि मुझ वादी के नाम सेटलमेन्ट के पश्चात कायम किये गये नम्बर 5945 रकबा 0.34 हे0 व आराजी संख्या 5944 में से 0.09 हे0 जो मुझ वादी की आराजी से सटमा है कुल 0.43 हे0 भुमि पर एक ही चक के रूप में मुझ वादी का कब्जा निरन्तर एवं निर्बाध रूप से चला आ रहा है जिससे मैं वादी आराजी संख्या 5944 के 0.09 हे0 रकबे का जो मुझ वादी की भुमि से सटमा है को मुझ वादी के नाम पर राजस्व नक्शे में तरमीम करते हुए राजस्व रेकार्ड मे बतौर खातेदार दर्ज करने की घोषणात्मक डिकी प्रदान करने का अधिकारी हूँ।

यह कि आराजी संख्या 5944 जो प्रतिवादी संख्या एक को बिलानाम होने से सम्पूर्ण भुमि रकबा 0.64 हे0 ही आवंटित कर दी गई किन्तु इस भुमि पर प्रतिवादी संख्या एक का न तो कोई कब्जा है और न ही किसी प्रकार का कोई विकास ही वहां पर किया गया हैं। आराजी संख्या 5944 जो प्रतिवादी संख्या एक के नाम पर है उसका 0.55 हे0 रकबा पड़त पड़ा हुआ है तथा इस आराजी की 0.09 हे0 रकबे पर वक्त आवंटन से मै वादी काबिज चला आ रहा हूँ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.26 17:03:04 IST
Reason: SelfAttested

2.

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

जिससे मुझ वादी की आराजी संख्या 5945 रकबा 0.34 हे0 भुमि व इससे आराजी संख्या 5944 का 0.09 हे0 रकबा दोनो एक ही चक के रूप में नवीन नक्शे में तरमीमात करा मुझ वादी के नाम पर 0.09 हे0 बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा कर इन्द्राज दुरूस्ती करवाने का मै वादी अधिकारी हूँ तब जाकर मुझ वादी को आवंटित भुमि का रकबा कब्जे अनुसार व साबिक नक्शे अनुसार व साबिक रकबे अनुसार पुरा होगा।

यह कि सेटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियो को राजस्व रेकार्ड व नक्शे में फेर बदल करने व परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। राजस्व अधिकारियों को मुझ वादी को आवंटित भुमि का रकबा दो बीघा के अनुसार 0.43 हे0 कायम करना चाहिये था तथा उसी अनुसार नवीन नक्शे में भी 0.43 हे0 को पुनः तरमीम करना चाहिये था किन्तु गैर कानुनी तरीके से उन्होने राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन कर दिया, जिसको मैं वादी पुनः दुरूस्त कराने का अधिकारी हूँ।

यह कि मुझ वादी को इसकी जानकारी होने पर मैने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया था परन्तु वह दौराने अभियान खारिज हो गया। जिससे मुझ वादी को यह नियमित वाद पेश करने हेतु विवश होना पड़ा हैं।

अतः वादी की सादर प्रार्थना हैं कि घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमायी जावे कि ग्राम कोशीथल तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 5944 रकबा 0.64 हे0 में से 0.09 हे0 भुमि का वादी खातेदार काश्तकार है और इस 0.09 हे0 भुमि को राजस्व रेकार्ड में अपने नाम दर्ज करवा कर उसकी आराजी संख्या 5945 रकबा 0.34 हे0 के साथ कुल 0.43 हे0 रकबे के अनुसार एक ही चक के रूप में नवीन नक्शे में तरमीम कराने का वादी अधिकारी है।

कि स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमायी जावे कि वादग्रस्त आराजी संख्या 5944 ग्राम कोशीथल के 0.09 हे0 रकबे से प्रतिवादीगण वादी को बेदखल नही करे तथा वादी के शांति पूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की नाजायज दखलदांजी न तो स्वयं करें, न किसी अन्य से करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.26 17:03:04 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण न्यायालय में विधिवत रूप से दिनांक [illegible]16 को पंजीबद्ध किया जाकर उपस्थिति हेतु सम्मन जारी [illegible] सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध [illegible] के आदेश दिये गये । पेरोकार उपस्थित। पेरोकार सरकार द्वारा जवबा पेश [illegible]र बिन्दु संख्या 01 रेकार्ड अनुसार आंशीक स्वीकार किया बिन्दु संख्या 02 लगायत 05 अस्वीकार किया एवं

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

Scanned with CamScanner

बिन्दु संख्या 06 से 15 को न्यायिक बता कर निवेदन किया कि प्रकरण में ग्राम कोशीथल कि साबिक खसरा संख्या 2449 में दो बीघा भूमि आवंटन हुई। लेकिन संभवतया आवंटी का दौराने भू–प्रबंध आंशीक रकबे पर आवंटीत भूमि पर कब्जा नही होने से कब्जा अनुसार है आवंटी के वर्तमान रेकार्ड में 0.34 हे0 भूमि दर्ज की गई हैं वर्तमान खसरा संख्या 5944 रकबा 0.64 हे0 राजीगांधी पाठशाला केरपुरा विद्यालय भवन का खेल मैदान के रूप में वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित होकर विद्यालय का उपयोग है। लोक अदालत अभियान में भी पूर्व में प्रस्तुत प्रकरण 136 एल0आर0ए0 खारिज किया गया हैं। प्रकरण खारिज करने योग्य हैं। उक्तानुसार जवाब के बाद प्रकरण में तनकी कायम की गई जो निम्नानुसार है:–

1. आया वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 ग्राम कोशीथल के आराजी नं0 5944 रकबा 0.64 हे0 भूमि में से 0.09 हे0 भुमि का खातेदार काश्तकार घोषित कराने की डिकी प्राप्त करने का अधिकारी हैं?

बजिम्मे वादी

2. आया वादी ग्राम कोशीथल के आराजी नं0 5945 रकबा 0.34 हे0 के साथ कुल 0.43 हे0 रकबे के अनुसार एक ही चक के रूप में नवीन नक्शे में तरमीम कराने का अधिकारी है।

बजिम्मे वादी

3. आया वादी ग्राम कोशीथल के आराजी नं0 5944 रकबा 0.09 हे0 रकबे पर से स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी कराने का अधिकारी है।

बजिम्मे प्रतिवादी

4. अनुतोष?

वादपत्र में तनकियात कायम किये जाने के बाद साक्ष्य वादी प्रारंभ की गई। वादी डालचन्द पिता हजारी कुमावत निवासी कोशीथल द्वारा साक्ष्य वादी में स्वंय अपने बयान पी.डब्ल्यू – 1, लेखबद्ध करा शपथ दिलाई गई। मुझे बिलानाम भूमि में से दो बीघा भूमि आवंटित हुई थी। करीब 30–35 वर्ष पूर्व मुझे आवंटित हुई थी। वक्त आवंटन से दो बीघा भूमि पर मेरा ही कब्जा चला आ रहा है। आवंटन के बाद मैने भूमि पर ख[illegible] उपजाऊ बनाया। इस जमीन के पड़ौस पूर्व सड़क पश्चिम में नारू नायक [illegible] उत्तर में आम रास्ता केरपुरा का दक्षिण मे पहले रामलाल [illegible] जमीन है। फिर सेटलमेन्ट हुआ उसमें मेरी क[illegible] भूमि कम कर दी कब्जा वर्तमान में मेरा दो बीघा में हैं लेकिन रेकार्ड में कम [illegible] दी गई। यह जमीन 10 बिस्वा जमीन पाठशाला केरपुरा जो मेरी जमीन के दक्षिण में हैं। जा में मिला दी हैं जमाबंदी संवत् 2037 से 2040 ग्राम कोशीथल पेश है जो प्रदर्श 01 है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.26 17:03:04 IST
Reason: SelfAttested

4.

सहायक कलेक्टर
अधिकारी

Scanned with CamScanner

नामान्तरकरण संख्या 2975 जिससे मरे नाम से भुमि दर्ज हुई प्रदर्श 02 है। साबिक नक्शाट्रेस मौजा कोशीथल की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श –03 है जमाबंदी संवत 2071 से 2074 प्रदर्श 04 है। जमाबंदी राजीव गांधी पाठशाला की सवंत 2071 से 2074 प्रदर्श 05 है। भूमि आवंटन आदेश के नकल प्रदर्श 06 हैं। नकल मिलान खसरा प्रदर्श –08 है। नकल जमाबंदी बन्दोबस्त प्रदर्श 07 हैं। नक्शाट्रेस वर्तमान प्रदर्श 09 है। दो बीघा जमीन के चारो तरफ पत्थर डाल रखे है। मेरी जमीन जो कम हुई है। जो मेरे नाम की जावे।

उक्तानुसार साक्ष्वादी पर जिरह पेरोकार सरकार द्वारा की गई :– मुझे दो बीघा भूमि आवंटन हुई। आवंटन हुई जिसको पटवारी ने नाप कर मुझे दी थी। यह सही है कि आवंटन समय से मेरा उक्त दो बीघा भूमि पर कब्जा है। इस समय पिलाई का पानी नहीं होने से काश्त नहीं है। भूमि आवंटन के बाद मुझे भूमि सिपुर्द की उसके बाद मैने जमीन को नही नपवाई। भू–प्रबंधन के समय में मेरी जमीन वा मौजूद नहीं था। भू–प्रबंध के बाद मेरी जमीन के दक्षिण की तरफ विद्यालय को भूमि आवंटन की। विद्यालय वालो ने अपनी जमीन नपवाई तब मुझे पता चला कि मेरे 9–10 ऐयर भूमि विद्यालय की भूमि की तरफ नक्शे में दर्शा दी गई हैं। विद्यालय परिवार का कहना है कि हमारी 9–10 एयर भूमि तुम्हारे कब्जे में हैं परन्तु अभी कब्जा मेरा ही है। मैंने कब्जा नहीं छोड़ा है।

साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं होने से साक्ष्यप्रतिवादी बंद की गई। वर्तमान मौके की स्थिति हेतु तहसीलदार सहाड़ा को मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। **तहसीलदार सहाड़ा द्वारा जरिये पत्रांक /राजस्व/ 21/337 दिनांक 19.04.2021 से मौका व रेकार्ड अनुसार** भू–अभिलेख निरीक्षक कोशीथल से आवश्यक जांच कराई गई जिनकी रिपोर्ट अनुसार प्रतिवेदन निम्नानुसार हैः–

1. यह कि ग्राम कोशीथल के आराजी नं0 2449/3 रकबा दो बीघा भूमि डालचन्द पिता हजारी कुमावत निवासी कोशीथल के नाम मिसल नं0 345/83 द्वारा आवंटित की गई जो ना0 सं0 2975 दिनांक 24.08.1984 से दर्ज रेकार्ड की गई। तत्समय साबिक नक्शे अनुसार ही राजस्व नक्शे में तरमीम की जाकर खाता कायम किया गया, तथा आवंटी व्यक्ति मौके पर उसी अनुसार काबिज रहा है।
2. यह कि भू–प्रबंध के दौरान भू–प्रबंध विभाग द्वारा आराजी नं0 2449/3 रकबा 2 बीघा के नवीन आराजी नं0 5945 रकबा 0.34 हे0 कायम किये गये जबकि आवंटित भूमि 2 बीघा के 0.43 हे0 होते है इस प्रकार वादी के 0.09 हे0 भूमि रेकार्ड में कम कर दी गई, जबकि राजस्व नक्शे की रकबा बरारी से आराजी नं0 5945 की भूमि 0.38 हे0 आती है इस प्रकार नक्शे की आकृति में 0.05 हे0 की कमी कर दी गई है।
3. यह कि मौके पर वादी आवंटित भूमि 2 बीघा अर्थात 0.43 हे0 भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है, जिसका मौका पर्चा अवलोकनार्थ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.26 17:43:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

4. यह कि इसी आराजी से लगती हुई आराजी नं0 5944 रकबा 0.64 हे0 जो बिलानाम होने से राजस्व अभियान के दौरान राजीव गांधी पाठशाला केरपुरा के विद्यालय भवन व खेल मैदान हेतु आवंटित कर दी गई वर्तमान में विद्यालय भवन उक्त आराजी नं0 5944 में नहीं बना होकर अन्य खातेदारी आराजी में बना होकर संचालित हैं
5. यह कि आराजी नं0 5945 हे0 वर्तमान में आराजी नं0 5945/2 रकबा 0.17 हे0 डालचन्द पिता हजारी कुमावत निवासी कोशीथल के नाम तथा आराजी नं0 5945/1 रकबा 0.1450 हे0 सुखीदेवी पत्नि डालचन्द कुमावत निवासी गाडरीखेड़ा के नाम तथा आराजी नं0 5945/3 रकबा 0.0250 हे0 गै0मु0 रास्ता दर्ज हैं
6. यह कि गत राजस्व नक्शे व वर्तमान नक्शे की तुलना करने पर आराजी नं0 5945 का रकबा 0.09 हे0 कम हैं। वर्तमान आराजी नं0 5944 रकबा 0.64 हे0 में आता है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में रा0गा0पा0 केरपुरा के नाम दर्ज है।

अधिवक्ता वादी द्वारा वादपत्र में बहस सुनाये जाने हेतु निवेदन किया। बहस उभयपक्ष कारान सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादी में स्वंय अपने बयान पी. डब्ल्यू – 1 लेखबद्ध मुझे बिलानाम भूमि में से दो बीघा भूमि आवंटित हुई थी। करीब 30–35 वर्ष पूर्व मुझे आवंटित हुई थी। वक्त आवंटन से दो बीघा भूम पर मेरा ही कब्जा चला आ रहा है। आवंटन के बाद मैने भूमि पर खेती की बाड़ लगाई और उपजाऊ बनाया। इस जमीन के पड़ौस पूर्व सड़क पश्चिम में नारू नायक की जमीन उत्तर में आम रास्ता केरपुरा का दक्षिण मे पहले रामलाल पिपलिया की जमीन अब स्कूल की जमीन है। फिर सेटलमेन्ट हुआ उसमें मेरी करीब 9 से 10 बिस्वा भूमि कम कर दी कब्जा वर्तमान में मेरा दो बीघा में हैं लेकिन रेकार्ड में कम कर दी गई। यह जमीन 10 बिस्वा जमीन पाठशाला केरपुरा जो मेरी जमीन के दक्षिण में हैं। जमाबंदी संवत् 2037 से 2040 ग्राम कोशीथल पेश है जो प्रदर्श 01 है। नामान्तरकरण संख्या 2975 जिससे मरे नाम से भुमि दर्ज हुई प्रदर्श 02 हे। साबिक नक्शाट्रेस मौजा कोशीथल की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श –03 है जमाबंदी संवत 2071 से 2074 प्रदर्श 04 है। जमाबंदी राजीव गांधी पाठशाला की सवंत 2071 से 2074 प्रदर्श 05 है। भूमि आवंटन आदेश के नकल प्रदर्श 06 हैं। नकल मिलान खसरा प्रदर्श –08 है। नकल जमाबंदी बन्दोबस्त प्रदर्श 07 हैं। नक्शाट्रेस वर्तमान प्रदर्श 09 है। दो बीघा जमीन के चारो तरफ पत्थर ... मेरी जमीन जो कम हुई है जो दिलवाई जावें। एवं तहसीलदार ... प्राप्त मौकर रिपोर्ट दिनांक 19.04.2021 , बयान गवाहों की ... वादपत्र में चाही गई रिलीफ अनुसार घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमायी जावे कि ग्राम कोशीथल तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.26 17:03:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
... जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

मुकदमा नम्बर 146/2016(2016/00424)
वाद अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.ए.

स्थित आराजी संख्या 5944 रकबा 0.64 हे0 में से 0.09 हे0 भुमि का वादी खातेदार काश्तकार है और इस 0.09 हे0 भुमि को राजस्व रेकार्ड में अपने नाम दर्ज करवा कर उसकी आराजी संख्या 5945 रकबा 0.34 हे0 के साथ कुल 0.43 हे0 रकबे के अनुसार एक ही चक के रूप में नवीन नक्शे में तरमीम कराने का वादी अधिकारी है। कि स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमायी जावे कि वादग्रस्त आराजी संख्या 5944 ग्राम कोशीथल के 0.09 हे0 रकबे से प्रतिवादीगण वादी को बेदखल नही करे तथा वादी के शांति पूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की नाजायज दखलदांजी न तो स्वयं करें, न किसी अन्य से करावें। प्रतिवादी पेरोकार सरकार ने उक्तानुसार बहस एवं साक्ष्यवादी पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

मैंने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एंव वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एंव बयान गवाहान का परीक्षण किया गया व पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया गया। **तनकीवार निष्कर्ष निम्नानुसार है :–**

<u>तनकी नम्बर – 1</u>

1. **आया वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 ग्राम कोशीथल के आराजी नं0 5944 रकबा 0.64 हे0 भूमि में से 0.09 हे0 भुमि का खातेदार काश्तकार घोषित कराने की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी हैं?**

बजिम्मे वादी

तनकी नम्बर – 1 को साबित कराने का भार वादी पर था। वादी ने उक्त तनकी को साबित करने हेतु कुल 09 साक्ष्य प्रस्तुत किये तथा गवाह साक्ष्य पेश की जिससे उक्त तनकी नं. 1 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नम्बर –2</u>

2. **आया वादी ग्राम कोशीथल के आराजी नं0 5945 रकबा 0.34 हे0 के साथ कुल 0.43 हे0 रकबे के अनुसार एक ही चक के रूप में नवीन नक्शे में तरमीम कराने का अधिकारी है।**

बजिम्मे वादी

तनकी नम्बर – 2 को साबित कराने का भार वादी पर था। वादी ने उक्त तनकी को साबित करने हेतु कुल 09 साक्ष्य प्रस्तुत किये तथा गवाह साक्ष्य पेश की तथा मौका रिपोर्ट दिनांक 19.04.2021 से मौका पर्चा अनुसार मौके पर जरीब चलाई जाकर मूल आराजी नं0 5945 रकबा [illegible]। मौके पर प्रार्थी 0.43 हे0 रकबे पर काबिज होकर पिलर जाली [illegible] पडत पड़ा हुआ है। वादी के गत नक्शे व रकबे के मु[illegible] 0.09 हे0 भूमि कम कर दी गई है। मौके पर स्कूल के [illegible] भवन चारदीवारी आदि नहीं बनी हुई हैं। स्कूल हेतु भूम वादी को आवंटन [illegible] काफी बाद में आवंटन हुई थी। अतः उपरोक्त विवेचन से उक्त तनकी नं. 2 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

7.

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.26 17:03:04 IST
Reason: SelfAttested

(उपखण्ड अधिकारी)

Scanned with CamScanner

तनकी नम्बर –3

3. आया वादी ग्राम कोशीथल के आराजी नं0 5944 रकबा 0.09 हे0 रकबे पर से स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी कराने का अधिकारी है।

बजिम्मे प्रतिवादी

तनकी नम्बर –3 को साबित कराने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी ने इस हेतु कोई साक्ष्य या जवाब पेश नहीं किया। वादी ने उक्त तनकी को अपने पक्ष में निर्णित कराने हेतु साक्ष्य एवं मौका रिपोर्ट को अपने पक्ष में सावित होने का प्रमाण दिया। अतः तनकी नं. 3 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

चूंकि वादपत्र की उक्त सभी तनकिया वादी के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है। अतएवं

:: आदेश::

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। ग्राम कोशीथल तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 5944 रकबा 0.64 हे0 में से 0.09 हे0 भुमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। और इस 0.09 हे0 भुमि को राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम दर्ज कर उसकी आराजी संख्या 5945 रकबा 0.34 हे0 के साथ कुल 0.43 हे0 रकबे के अनुसार एक ही चक के रूप में नवीन नक्शे में तरमीम करने का आदेश दिया जाता है।

कि स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती हैं कि वादग्रस्त आराजी संख्या 5944 ग्राम कोशीथल के 0.09 हे0 रकबे से प्रतिवादीगण वादी को बेदखल नही करे तथा वादी के शांति पूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की नाजायज दखलदांजी न तो स्वयं करें, न किसी अन्य से करावें। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

उक्तानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.26 17:03:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर

Scanned with CamScanner

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 146 / 2016 (2016 / 00424) दायर दिनांक 15.09.2016
वाद– अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.ए.

शीर्षक

डालचन्द आत्मज हजारी कुमावत निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
वादी

बनाम

1. राजीव गांधी पाठशाला केरपुरा म0 देह विद्यालय भवन एवं खैल मैदान हेतु जरिये प्रधानाध्यापक तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

उपस्थिति– अधिवक्ता वादीः– श्री पर्वतसिंह चुण्डावत
अधिवक्ता प्रतिवादीगणः– प्रतिवादी संख्या 01 उप0 पेरोकार सरकार

दिनांक 05.07.2021

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह चुण्डावत एवं प्रतिवादी पेरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 05.07.2021 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती हैं कि ---x--- और इस वाद के खर्च लेखे -----x--- रूपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर -----x------ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित -----x------ द्वारा -----x------ को दी जाए।

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। ग्राम कोशीथल तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 5944 रकबा 0.64 हे0 में से 0.09 हे0 भुमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। और इस 0.09 हे0 भुमि को राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम दर्ज कर उसकी आराजी संख्या 5945 रकबा 0.34 हे0 के साथ कुल 0.43 हे0 रकबे के अनुसार एक ही चक के रूप में नवीन नक्शे में तरमीम करने का आदेश दिया जाता है।

कि स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती हैं कि वादग्रस्त आराजी संख्या 5944 ग्राम कोशीथल के 0.09 हे0 रकबे से प्रतिवादीगण वादी को बेदखल नही करे तथा वादी के शांति पूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की नाजायज दखलदांजी न तो स्वयं करें, न किसी अन्य से करावें। खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करेंगें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.26 17:03:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

डिक्री आज दिनांक 05.07.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

Scanned with CamScanner